[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना
सं. 14/2025- केंद्रीय कर

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2025

का.आ .... (अ.) - केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, पंजीकृत व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणी को अधिसूचित करती है, जिन्हें उक्त अधिनियम के अधीन अनंतिम आधार पर प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) कोई भी व्यक्ति, जिसने केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 10ख के अधीन आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है;

(ख) कोई भी व्यक्ति, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट अध्याय या शीर्षक या उप-शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आने वाली, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट विवरण वाली वस्तुओं की आपूर्ति में लगा हुआ है:

सारणी

क्र. सं.	**अध्याय/ शीर्षक/ उप-शीर्ष / टैरिफ मद**	**वस्तुओं का विवरण**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	0802 80	सुपारी
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	तंबाकू और निर्मित तंबाकू के विकल्प
4.	3301	आवश्यक तेल

स्पष्टीकरण.-

(i) इस अधिसूचना में, "टैरिफ मद", "उप-शीर्ष", "शीर्ष", और "अध्याय" से, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमश: कोई टैरिफ मद, शीर्ष, उप-शीर्ष और अध्याय अभिप्रेत है;

(ii) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची, जिसमें भाग और अध्याय टिप्पण और प्रथम अनुसूची के साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण सम्मिलित हैं, के निर्वचन के लिए नियम, यथासंभव, इस अधिसूचना के निर्वचन के लिए लागू होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगी।

[प.सं. CBIC-20001/2/2025-GST]

(रौशन कुमार)
अवर सचिव